- । - (1)

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक:-प-14(3)जविप्रा/संस्था/11

दिनांक 21-7-11

: सूचना :

अचल सम्पति विवरण सार्वजनिक करने बाबत प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक(क-1/गो.प्र.) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी पत्र क्रमांक:-प-13(76)का./क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 18.07.2011 (छाया प्रति संलग्न) में राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही उन्हें आगामी वेतन वृद्धि स्वीकृत किये जाने के लिए निर्देशित किया गया है:-

1. राज्य सेवा अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण उप शासन सचिव, कार्मिक(क-1/गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रस्तुत किया जावे।
2. अधिनस्थ सेवाओं के सभी राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अपने संबंधित विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत किया जावे।
3. निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं सभी राजकीय उपक्रमों में कार्यरत अधिकारियों(जिनकी ग्रेड पे 4200 रूपये या अधिक है) द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अपने निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जावे।

अतः बिन्दु संख्या-1 व 2 के अधिकारी निर्देशानुसार अपनी अचल सम्पति का विवरण संबंधित कार्मिक/विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत करेंगे तथा बिन्दु संख्या 3 के अन्तर्गत आने वाले प्राधिकरण सेवा के अधिकारी अचल सम्पति का विवरण अविलम्ब उपायुक्त-जांच(गोपनीय प्रतिवेदन प्रकोष्ठ), जविप्रा को प्र[illegible] कर उसका पृष्ठांकन उपायुक्त(प्रशासन) को प्रस्तुत करें।

(अति.आयुक्त(प्रशासन))

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. [illegible] निजी सहायक, उप महानिरीक्षक, जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक[illegible] अभियांत्रिकी/परियोजना/आयोजना/[illegible]), जविप्रा, जयपुर।
5. अतिरिक्त आयुक्त(प्रशासन/पूर्व/पुनर्वास/एलपीसी/भूमि एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी), जविप्रा, जयपुर।
6. [illegible] आयुक्त(संसाधन विकास एवं [illegible] मैनेजमेन्ट), जविप्रा, जयपुर।
7. अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक(बीपीसी/[illegible]), जविप्रा, जयपुर।
8. मुख्य नियंत्रक(प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
9. समस्त अधीक्षण अभियंतागण ...., जविप्रा, जयपुर।
10. वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट), जविप्रा, जयपुर।
11. अतिरिक्त[illegible](सतर्कता एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर।
12. [illegible](जन सम्पर्क/आर.एम./कार्मिक), जविप्रा, जयपुर।
13. समस्त उपायुक्तगण जोन-1 से 14/वाहन/[illegible] प्रशासन/रिकार्ड/बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
14. उपायुक्त(जांच), जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि प्राधिकरण अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत अचल सम्पति के विवरण की सूचना कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र दिनांक 18.07.2011 की पालना में उन्हें भिजवाने तथा राज्य सरकार के निर्देशों के क्रम में यह सूचना सिस्टम एनालिस्ट के माध्यम से प्राधिकरण की वेबसाइट पर सार्वजनिक कराये।
15. उप निदेशक(प्रोजेक्ट एवं आडिट/व्यय एवं बजट), जविप्रा, जयपुर।
16. संयुक्त पंजीयक(सहकारिता), जविप्रा, जयपुर।
17. समस्त अधिशाषी अभियंतागण........., जविप्रा, जयपुर।
18. प्रभारी अधिकारी नागरिक सेवा केन्द्र, जविप्रा, जयपुर।
19. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उपायुक्त(जांच) द्वारा प्रेषित उक्त सूचना को प्राधिकरण की वेबसाइट पर सार्वजनिक कराये।
20. लेखाधिकारी(भुगतान), जविप्रा, जयपुर।
21. उपसचिव, जविप्रा, जयपुर।
22. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।
23. प्रभारी प्रकोष्ठाधिकारी ...., जविप्रा, जयपुर।
24. नोटिस बोर्ड ।
25. रक्षी पत्रावली।

DC(E) on leave

उपायुक्त(प्रशासन)

[illegible]

परिपत्र पत्रावली एवं रजिस्टर खोलकर ... DA- Sh. ... Saini ... ।

Recd DR-714 22-7-11

/16/ -2- (2)

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग,

क्रमांक प. 13(76)का./क–1/गो.प्र./2011 जयपुर, दिनांक 18.7.2011

समस्त अति. मुख्य सचिव/ प्रमुख शासन सचिव/
शासन सचिव / उप शासन सचिव,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टरों सहित)

विषयः– अचल सम्पति विवरण सार्वजनिक करने बाबत ।

महोदय,

मैं आपका ध्यान इस विभाग के परिपत्र कमांक प. 13(76)कार्मिक/क–1/गो.प्र./2011 दिनांक 14.04.2011, 13.5.2011, 17.5.2011 एवं 13.6.2011 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसके द्वारा राज्य में कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों की वर्ष 2010 के लिए (1.1.2011 की स्थिति में) एवं इसके पश्चातवर्ती वर्षो की अचल सम्पति विवरण सार्वजनिक किए जाने का निर्णय लिया गया । साथ ही जो अधिकारी अपने अचल सम्पति विवरण निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत नहीं करेंगे उनकी विजीलेन्स क्लीयरेंस नहीं दी जायेगी एवं पदोन्नति, एम्पेनलमेंट पर विचार नहीं किये जाने तथा राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किए जाने के उपरान्त ही उन्हें आगामी वेतनवृद्वि स्वीकृत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था:–

1. राज्य सेवा अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण उप शासन सचिव, कार्मिक (क–1/गो.प्र.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रस्तुत किया जावें ।
2. अधिनस्थ सेवाओं के सभी राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अपने सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को प्रस्तुत किया जावें ।
3. निगम, बोर्ड, स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं सभी राजकीय उपकमों में कार्यरत अधिकारियों (जिनकी ग्रेड पे 4200 रूपये या अधिक है) द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अपने निर्धारित प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जावें ।

राज्य सेवा अधिकारियों की अचल सम्पति विवरण जो निर्धारित प्रपत्र मे प्राप्त होंगे उन्हें कार्मिक विभाग द्वारा सार्वजनिक किया जावेगा तथा अधिनस्थ सेवाओं के राजपत्रित अधिकारियों की अचल सम्पति विवरण सम्बन्धित विभागाध्यक्षों द्वारा तथा निगम, बोर्ड, सभी स्वायत्तशाषी संस्थाओं एवं राजकीय उपकमों में कार्यरत अधिकारियों की सम्बन्धित निर्धारित प्राधिकारी द्वारा सार्वजनिक किए जायेगें ।

अधिकांश राजपत्रित अधिकारियों के अचल सम्पति विवरण प्राप्त हो गये है परन्तु कुछ राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपनी अचल सम्पति विवरण अभी तक प्रस्तुत नहीं किये गये है उन्हें अविलम्ब अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत करने हेतु पुनः निर्देशित करें तथा विभाग द्वारा अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किए जाने के संबंध में जारी किए गये निर्देशों की पूर्ण पालना भी सुनिश्चित की जावें एवं पत्र के पीछे अंकित प्रपत्र में वांछित सूचना भी कृपया अविलम्ब प्रेषित करावें ।

प्रमुख शासन सचिव